न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **श्री आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2315 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 983/अपील/2010-11.

रामलाल पिता कालूराम ब्राह्मण
निवासी ग्राम भौआर
तहसील मनगंवा जिला रीवा .....आवेदक

विरूद्ध

रामनिहोर पिता कालूराम ब्राह्मण
निवासी ग्राम भौआर
तहसील मनगंवा जिला रीवा .....अनावेदक

श्री आई.पी. व्दिवेदी अभिभाषक, आवेदक

श्री आर.एस.सेंगर अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

1/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक रामनिहोर ने तहसीलदार के प्र.क्र. 01/अ6/09-10 आदेश दिनांक 19/05/2010 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील खारिज करते हुए पारित आदेश में लेख है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधान आदेश में लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालयका

अपीलाधीन आदेश दो सगे भाइयो को पैतृक भूमि के दीर्घकाल के बंटवारे के परिणाम स्वरूप पारित किया गया है जिसका प्रमाण उक्त भूमियों के अंश भाग पर आवेदक का रिहायसी मकान, कुंआ, ट्यूबबेल बने होना तथा पेड पौधे लगे होना अपीलाधीन आदेश में उल्लखित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार तहसील मनगंवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय तथा विधि के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल है जिससे परिवेदित होकर अनावेदक रामनिहोर द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/07/17 में अपील स्वीकार की गयी, आवेदक रामलाल द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया कि आपसी पारिवारिक हिस्सा बांट पर दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में काबिज थे तथा आवेदक अपनेहिस्से में मकान पेड़ कुआंख् आदि बनवाकर आवाद है, इस संबंध में तहसील न्यायालय के पत्रावली तलब थी, जिसमें भूमि नम्बर 246, 368,385 एवं 350 निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की होना प्रमाणित था, इस बिन्दु पर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधकारी के न्यायालयके समवर्ती निष्कर्ष थी द्वितीय अपीलीय न्यायालय में रद्द नहीं किया जाना चाहिए लेकिन किसी भी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया गया इस मामले में यह अविवादित तथ्य है कि रामलाल व रामनिहोर में सगे भाई और कालूराम के उत्तराधिकारी है हिन्दु विधि में मौखिक विभाजन अनुज्ञेय है ऐसा आवश्यक नहीं है कि विभाजन लिखित ही हो। पूर्वजों के जमाने में मौखिक विभाजन हुआ था और विभाजन के अनुसार निगरानीकर्ता को पिता से मिली भूमि में काबिज दाखिल थे उसी निरंतरता में आज भी निगरानीकर्ता काबिज है।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक14/07/17 विधि सम्मत है उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है अत: इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजोंएवं तर्कों का परिषीलन किया गया प्रकरण में विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर नामान्तरण करने का अधिकारी तहसीलदार को नहीं है बिना किसी वैध् अन्तरण के भूमि अंतरित नहीं की जा सकती प्रकरण में पारिवारिक विभाजन सिद्ध किये जाने का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया है ।

लिहाजा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा तहसीलदार मनगंवा के आदेश दिनांक 19/05/10 तथा अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/04/11 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/07/17 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है तथा यह निगरानी अस्वीकार की जाती है।

5/6/18

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर